

दिनांक 31 अक्टूबर, 2012 के परिपत्र डीजीबीएजीएडी संख्या एच-2529/31.12.010 (सी)/2012-13 का संलग्नक

माह में समाप्त तिमाही के लिए एजेंसी कमीशन का दावा

भाग I - बैंक का विवरण				
बैंक का नाम		:		
दावा प्रस्तुत करने वाले कार्यालय का पता		:		
(सरकारी विभाग का नाम) के लिए मान्यता प्राप्त		:		
की गई गतिविधियां		:		
भाग II - दावों का विवरण				
विवरण	लेन-देन की संख्या		राशि (रुपये में)	
	भौतिक	इलेक्ट्रॉनिक	भौतिक	इलेक्ट्रॉनिक
1. सकल प्राप्तियां				
2. घटाईए				
(क) बैंकों की अपनी कर देयता का प्रतिनिधित्व करने वाली प्राप्तियां **				
(ख) आईटी अधिनियम के तहत विभिन्न अन्य मदों पर टीडीएस				
(ग) वरिष्ठ नागरिक बचत योजना 2004 (एससीएसएस-2004) के अलावा अन्य वरिष्ठ नागरिकों के लिए केंद्र/राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजनाओं/विशेष योजनाओं, यदि कोई हो, के तहत लेन-देन				
(घ) त्रुटि स्कॉल लेनदेन				

(ड) अन्य अयोग्य आइटम (जैसे दीर्घकालिक उधारों के पुनर्भुगतान के कारण प्राप्तियां वित्तीय संस्थानों से राज्य सरकारों की संख्या/				
बैंकों, मंत्रालयों की ओर से साख पत्र(एलसी) लेनदेन /विभाग, पेंशन के तहत प्राप्तियां) (मदवार ब्यौरा प्रस्तुत किया जाना चाहिए)				
आई.ए. शुद्ध प्राप्तियां				
II पेंशन के अलावा अन्य भुगतान				
घटाईए				
(क) वरिष्ठ नागरिक बचत योजना 2004 (एससीएसएस-2004) के अलावा अन्य वरिष्ठ नागरिकों के लिए केंद्र/राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजनाओं/विशेष योजनाओं, यदि कोई हो, के लिए भुगतान				
(ख) त्रुटि स्कॉल लेनदेन				
(ग) अन्य अयोग्य मदें (जैसे एलसी लेनदेन आदि के तहत भुगतान) (मदवार ब्यौरा प्रस्तुत किया जाना चाहिए)				
II. पेंशन के अलावा अन्य शुद्ध भुगतान				

III. कुल पेंशन भुगतान				
घटाइए				
(क) पेंशन योजनाओं के तहत भुगतान, केंद्र / राज्य सरकार के कर्मचारियों लिए किए गए भुगतानों के अलावा।				
(ख) त्रुटि स्कॉल लेनदेन				
III ए. शुद्ध पेंशन भुगतान				
IV. कुल (IA + IIA + IIIA)				
V. (i) पेंशन खातों की संख्या - तिमाही की शुरुआत				
(ii) तिमाही के अंत में पेंशन खातों की संख्या				

** अपनी स्वयं की शाखाओं के माध्यम से या भारतीय स्टेट बैंक की अधिकृत शाखाओं या भारतीय रिज़र्व बैंक के कार्यालयों के माध्यम से अपनी कर देनदारियों का भुगतान करने वाले एजेंसी बैंक जहां भी उनकी अपनी अधिकृत प्रत्यक्ष कर संग्रह शाखा नहीं है, उन्हें स्कॉल में अलग से इंगित करना चाहिए और ऐसे लेनदेन एजेंसी कमीशन के भुगतान के लिए पात्र नहीं होंगे।

एजेंसी कमीशन की राशि का दावा:

रु.

भौतिक लेनदेन	प्राप्तियां	@ ₹50/-	प्रति	अर्थात X.....	=
ई-रसीदें		@ ₹12/-	प्रति लेनदेन	अर्थात X.....	=
पेंशन लेनदेन	भुगतान	@ ₹65/-	प्रति	अर्थात X.....	=
5.5 पैसे की दर से पेंशन के अलावा अन्य भुगतान प्रति ₹100 टर्नओवर				अर्थात X.....	=

कुल दावा =

(रुपये.....)

अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर, नाम और पदनाम:

शाखा अधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र

"प्रमाणित किया कि रुपये की राशि का एजेंसी कमीशन के रूप में दावा किया गया है उक्त को 'प्राप्तियों' और 'पेंशन भुगतानों' के संबंध में लेनदेन की संख्या और 'पेंशन के अलावा अन्य भुगतानों' के संबंध में लेनदेन की राशि को सही ढंग से ध्यान में रखते हुए तय किया गया है, जैसा कि केंद्र/ राज्य सरकारों / आरबीआई के लेखा अधिकारियों को प्रस्तुत किए गए सरकारी लेनदेन के दैनिक स्कॉल और शाखा में उपलब्ध अन्य रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है और केवल पात्र आइटम जो आरबीआई परिपत्र "एजेंसी बैंकों द्वारा सरकारी कामकाज का संचालन - एजेंसी कमीशन के भुगतान" में निर्दिष्ट हैं, पर विचार किया गया है। हम यह भी प्रमाणित करते हैं कि रसीद लेनदेन की संख्या जिसके लिए एजेंसी कमीशन का दावा किया जाता है, बैंक की अपनी कर देनदारियों और आईटी अधिनियम के विभिन्न मदों के तहत स्रोत पर काटे गए करों से संबंधित लेनदेन से अलग है।

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर, नाम और पदनाम और बैंक की मुहर

चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया गया है कि हमने शाखा द्वारा किए गए सरकारी लेनदेन से संबंधित रिकॉर्ड की जांच की है एवंरुपये की राशि (रुपये) केंद्र/राज्य सरकारों/आरबीआई के लेखा प्राधिकारियों को प्रस्तुत किए गए सरकारी लेन-देनों के दैनिक स्कॉल में दर्ज 'रसीदों' और 'पेंशन भुगतानों' के संबंध में लेन-देन की संख्या और 'पेंशन के अलावा अन्य भुगतानों' के संबंध में लेन-देन के मूल्य को ध्यान में रखते हुए एजेंसी कमीशन का ऑडिट किया गया है और इसे सही पाया गया है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त एजेंसी कमीशन भारतीय रिज़र्व बैंक के मौजूदा अनुदेशों के अनुसार केवल पात्र लेनदेन के आधार पर प्राप्त किया गया है और यह कि रसीद लेनदेन बैंक की सभी कर देनदारियों से संबंधित लेनदेन से **अलग** हैं।

**चार्टर्ड अकाउंटेंट के हस्ताक्षर, नाम,
पंजीकरण संख्या और पता**